

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर

क्रमांक:—ई—18/एम/81/से.नि./जोन—जोधपुर/2023/

दिनांक :-

आदेश

श्री रमेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0), सिरौही (जिनकी सर्विसबुक अनुसार जन्म तिथि 12.07.1963 है) को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2023 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0), सिरौही के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर

क्रमांक:—ई—18/एम/81/से.नि./जोन—जोधपुर/2023/60
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 28/02/23

1. प्रभारी, डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के पत्र क्रमांक 421-24 दिनांक 23.01.2023 के क्रम में।
3. अति निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जोन—जोधपुर।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर